

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 655 / 11-सी-FP/UP/Others/26800/2017, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 23, 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद-फतेहपुर में रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि० लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी० ०.०० से २२.००, जोनिहा अमौली मार्ग किमी० ०.०० से ३६.००, चक्रेरी से बिन्दकी (मुगल रोड) किमी० ०.०० से १५.५०, बिन्दकी से ललौली किमी० (लिंक एस०एच०-४६) ०.०० से ९.५० एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी० १९५ से २०७ तक (कुल किमी० ९५.००) के किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाने हेतु क्षेत्रफल ०.९८४२ हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- उ०प्र० शासन का पत्रांक-१४८/१४-२-२०१७-८००(१५३)/२०१७, दिनांक १२.०२.२०१८ एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज का पत्रांक-३९२/१५-१, दिनांक ११.०८.२०२२

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। उ०प्र० शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सामान्य स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सामान्य स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज के उपरोक्त पत्रांक-३९२/१५-१, दिनांक ११.०८.२०२२ द्वारा इस कार्यालय को दिनांक २३.०८.२०२२ को उपलब्ध कराया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाइन "परिवेश" पोर्टल पर अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 655 / 11-सी-FP/UP/Others/26800/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा०वा० वृत्त, प्रयागराज।
२. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, फतेहपुर।
३. प्रबन्धक, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि०, रोहतास के टेरिडेंट सेकेण्ड फ्लोर, १० राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ।

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।